गोपनीय/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या: 2831आर/छः-पु-5-3(158)/97

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 21अक्टूबर, 1997

विषयः आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की सीमा सम्पूर्ण भारतवर्ष तक बढ़ानें का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीमा विस्तार के प्रस्तावों का जिला स्तर पर सम्यक रूप से जॉच/परीक्षण किये बिना ही प्रस्ताव शासन को भेज दिये जाते है। एक प्रकरण श्री अम्बरीश कुमार, निवासी-गिधौरा, पोस्ट-अकोहा, जनपद-इलाहाबाद से सुरक्षागार्ड की नौकरी के आधार पर प्राप्त हुआ था उसमें महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्स नाम से प्रमाण पत्र संलग्न था। जॉच कराने पर उक्त प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि सीमा विस्तार हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों एवं उनकी पुष्टि में दिये गये प्रंमाणों की सत्यता की जॉच कराये बिना ऐसे प्रकरण कृपया शासन को संदर्भित न किये जांय। आत्मसुरक्षा हेतु स्वीकृत कियें गये आग्नेयास्त्रों के लाईसेसों के सीमा विस्तार के औचित्य पर भी कृपया समुचित रूप से परीक्षण कर लिया जाय तदुपरान्त ही शासन को भेजा जाय।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त
प्रतिलिपि-समस्त मण्डलायुक्तों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।